रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 1979/श्रावण 4, 1901
No. 240] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 1979/SRAVANA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1979

सा. का. नि. 459 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक (पैकेज में रखी हुई वस्तु) नियम, 1977 के नियम 1 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में, और भारत सरकार के नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 621 (अ), तारीख 26 सितंबर, 1977 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, और भारत सरकार के वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता

विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 56 (अ), तारीख 31 जनवरी, 1979 को अधिक्रांत करते हुए, 1 नवम्बर, 1979 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त नियमों के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त हो जाएंगे, अर्थात् :—

(1) नियम 5

(2) नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ङ) और (छ)

(3) नियम 7

(4) नियम 12 के उपनियम (3), (4), (5) और (6)

(5) नियम 13, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, और

(6) नियम 34 के उपबंधों का उतना अंश जिसका संबंध किसी कर्मशाला सर्विस स्टेशन या किसी अन्य स्थान में, जहां किसी साइकिल या ट्राइसिकल की सर्विसिंग या मरम्मत होती है, प्रयोग में लाए जाने वाले किसी संघटक, पुर्जे या पदार्थ से है ।

[सं. फा. डब्ल्यू. एम. 9(36)/77]

अ. स. सेठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1979

G.S.R. 459(E).—In pursuance of the provisions of sub-rule (4) of Rule 1 of the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, and in partial modification of the notification of the Government of India in the late Ministry of Civil Supplies and Co-operation No. G.S.R. 621(E), dated the 26th September, 1977, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Department of Civil Supplies & Co-operation) No. G.S.R. 56(E), dated the 31st January, 1979, the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 1979 as the date on which the following provisions of the said rules shall come into force, namely :—

(i) Rule 5 ;

(ii) Clauses (e) and (g) of sub-rule (1) of rule 6 ;

(iii) Rule 7 ;

(iv) sub-rule (3), (4), (5) and (6) of rule 12 ;

(v) Rules 13, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ; and

(vi) So much of the provisions of Rule 34 as relate to any component, part or material used in any workshop, service station or any other place where servicing or repairing of any bicycle or tricycle is undertaken.

[F. No. WM-9(36)/77]

A. S. SETHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979